

मध्यप्रदेश सभा

नून - अगस्त, 1991 सत्र

वैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, निमांक 19 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 20, 1913)

समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर किये जायेगे।

2- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण।

(1) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, रामानन्द सिंह, लोषण सिंह, सदस्य, सीधी बन मण्डल के सतना स्थित तेंदुपत्ता गोदाम में आग लगने से हुई क्षति की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री झींगालाल पटेल, सदस्य, धार जिले के कई ग्रामों में कपास के बीज की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य, सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अनेक ग्रामों में बन कर्मियों द्वारा आविवासियों को बेदखल किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, मध्यप्रदेश दुर्घ महासंघ द्वारा दूर्घ की आपूर्ति के संबंध में राज्य मंत्री डेयरी विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3- वर्ष 1991-92 की अनुप्रानों की मांगों पर खस्ताव (क्रमशः)

1 घन्टा (शेष 58 मिनिट)	(1) मांग संख्या 34 मांग संख्या 55	समाज कल्याण महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय
1 घन्टा	(2) मांग संख्या 05	जेल
1 घन्टा 30 मिनिट	(3) मांग संख्या 20 मांग संख्या 63	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
1 घन्टा	(4) मांग संख्या 47 मांग संख्या 70	जनशक्ति नियोजन विभाग तथा तकनीकी शिक्षा जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

4- अशासकीय विधेयक।

30 मिनिट श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये सेवाओं में पदों और रिक्तियों को आरक्षण विधेयक, 1991 (क्रमांक 2 सन 1991) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार होने की दशा में प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

5- अशासकीय संकल्प।

25 मिनिट (1) श्री शिवराज सिंह चौहान, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर विकिस्सकों के स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति अविलम्ब की जाए। विकिस्सकों के व्ययन या पदस्थ होने तक योग्यता प्राप्त बेरोजगार छात्र-छात्राओं को संविदा नियुक्तियाँ दी जाए।"

20 मिनिट (2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि गांव की गरीबी दूर करने की दिशा में खेती को लाभकारी बनाने हेतु विशेष उपक्रम किया जाए। साथ ही आर्थिक विषमता दूर करने हेतु ग्रामीण ज़ेतों में रोजगार न्यूनतम ग्रामरेटी कार्यक्रम अनिवार्य किया जाये।"

15 मिनिट (3) श्री पुरन सिंह पतेया, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

"सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार देने हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार की जावे।"

- 15 मिनिट (4) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि मस्जिद, गुरुद्वारे एवं मंदिरों पर निरन्तर बजने वाले लाउडस्पीकरों पर तत्काल प्रभाव से जनहित में रोक लगाई जाये".
- 15 मिनिट (5) डा. गोविन्द सिंह, श्री महेश तिवारी, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के अनुचान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक अशासकीय शिक्षण संस्थाओं की शासकीय घोषित करने की कार्यवाही की जाये".

६- नियम ५२ के अधीन आवेदन की चर्चा.

(1) दिनांक ९ जुलाई, १९९१ को राज्य मंत्री, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण से पूछे गये ताराकित प्रबन्ध संख्या १ (क्रमांक १२६२) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, विश्वमध्यमिक पाण्डेय सदस्य चर्चा उठायेंगे।

(2) दिनांक १६ जुलाई, १९९१ को राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से पूछे गये ताराकित प्रबन्ध संख्या १ (क्रमांक १८१४) के उत्तर से उद्भूत विषय पर सर्वश्री रामलक्ष्मन शर्मा, नन्दकुमार सिंह चौहान, रामानन्द सिंह, नारायण प्रसाद कबीर पंथी सदस्य चर्चा उठायेंगे।

भोपाल :

दिनांक : १८ जुलाई, १९९१

श्री गोविन्द मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा